भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2236
दिनांक 01 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

मिशन वात्सल्य योजना

2236. **श्री देवेश शाक्य:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मिशन वात्सल्य योजना के उद्देश्य क्या हैं और उत्तर प्रदेश में राज्य-वार एवं जिला-वार धनराशि के आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) मिशन वात्सल्य योजना की निगरानी पद्धति का ब्यौरा क्या है;

(ग) बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति (सीपीडब्ल्यू एवं पीसी) द्वारा चिन्हित बच्चों की संख्या कितनी है और उत्तर प्रदेश में उक्त योजना के अंतर्गत जिला-वार प्रायोजित बच्चों की संख्या कितनी है; और

(घ) वर्तमान में वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है और 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद दी जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करने हेतु केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पूर्व-निर्धारित लागत साझाकरण के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से 'मिशन वात्सल्य' नामक केंद्र प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें संस्थागत एवं गैर-संस्थागत दोनों प्रकार की देखभाल सेवाएं शामिल हैं।

मिशन वात्सल्य यह सुनिश्चित करता है कि परियोजनाओं/कार्यक्रमों को डिजाइन करते समय बच्चों के सर्वोत्तम हितों का हमेशा ध्यान रखा जाए। इसमें बच्चों के लिए संस्थागत देखभाल सेवाएं, गैर-संस्थागत देखभाल सेवाएं और आपातकालीन आउटरीच सेवाएं स्थापित करना शामिल है।

मिशन वात्सल्य योजना के दिशा-निर्देशों में राज्य एवं जिला स्तर पर निगरानी तंत्र की परिकल्पना की गई है। योजना की निगरानी और कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार एजेंसियों में राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति तथा जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति एवं बाल कल्याण समिति शामिल हैं। देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के लिए जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेटों को नोडल प्राधिकारी के रूप में सशक्त बनाया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) क्रमशः किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (धारा 109) के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं।

मिशन वात्सल्य योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निधि जारी की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सहित जारी निधि का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) और (घ): मिशन वात्सल्य योजना के दिशा-निर्देशों में मिशन प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला बाल कल्याण और संरक्षण समिति का प्रावधान है, जो मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत संस्थागत और गैर-संस्थागत देखरेख सेवाओं की निगरानी एवं पर्यवेक्षण करेगी। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत अंतर्गत गैर-संस्थागत देखभाल घटकों में प्रायोजन, पालन-पोषण देखभाल और पश्चात देखरेख शामिल हैं।

मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में दिनांक 31.03.2025 तक कुल 15,000 बच्चों को गैर-संस्थागत देखरेख हेतु सहायता प्रदान की गई है। ज़िलावार आँकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

****

अनुलग्नक

मिशन वात्सल्य योजना के संबंध में श्री देवेश शाक्य द्वारा पूछे गए दिनांक 01.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2236 के भाग (क) एवं (ख) उल्लखित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जारी धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(करोड़ रुपये)

क्रम संख्या	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**जारी की गई राशि**
1	आंध्र प्रदेश	44.03
2	अरुणाचल प्रदेश	5.32
3	असम	31.39
4	बिहार	53.35
5	छत्तीसगढ़	39.10
6	गोवा	5.14
7	गुजरात	19.50
8	हरियाणा	6.40
9	हिमाचल प्रदेश	37.68
10	जम्मू एवं कश्मीर	44.75
11	झारखण्ड	18.73
12	कर्नाटक	86.48
13	केरल	12.03
14	मध्य प्रदेश	117.24
15	महाराष्ट्र	144.97
16	मणिपुर	68.15
17	मेघालय	22.30
18	मिजोरम	37.06
19	नागालैंड	33.92
20	उड़ीसा	68.83
21	पंजाब	14.76
22	राजस्थान	74.98
23	सिक्किम	16.21
24	तमिलनाडु	122.82

25	तेलंगाना	36.97
26	त्रिपुरा	19.23
27	उत्तर प्रदेश	92.05
28	उत्तराखंड	14.49
29	पश्चिम बंगाल	70.18
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	3.13
31	चंडीगढ़	7.63
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	9.91
33	दिल्ली	7.62
34	लक्षद्वीप	0.00
35	लद्दाख	3.81
36	पुद्दुचेरी	4.17
कुल		**1394.31**

****